



वार्षिक रिपोर्ट

1999-2000

संसदीय विद्युत विनियामक आयोग



केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

5वाँ तल, कोर-3, स्कोप कॉम्प्लेक्स,

7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

फोन : 91-11-4361145, 4360216, फैक्स : 91-11-4360010, 4360058

वेबसाइट : www.cercind.org



1. आयोग का संक्षिप्त विवरण	—	2
2. आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का संक्षिप्त परिचय	—	3
3. आयोग के उद्देश्य	—	11
4. अभियान (मिशन) का विवरण	—	13
5. आयोग का मानव संसाधन	—	15
6. पूर्व वर्ष का मूल्यांकन	—	18
(i) प्रशासन	—	18
(ii) वार्षिक लेखा विवरणी	—	21
(iii) वर्ष 1999–2000 के दौरान कार्य निष्पादन	—	22
7. वर्ष 2000–2001 के लिए कार्यसूची	—	33

अनुबंधों की सूची

1. संगठन चार्ट	—	39
2. आयोग के सदस्यों और प्रमुख कर्मचारियों की सूची	—	40
3. वर्ष 1999–2000 के दौरान आयोग के समक्ष दाखिल याचिकाओं का ब्यौरा	—	42
4. चुनिंदा विनियमित संस्थानों का परिचय	—	44

वार्षिक रिपोर्ट
1999-2000


आयोग का संक्षिप्त विवरण

विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का 14) ने जुलाई, 1998 में केंद्र में एक स्वतंत्र विनियामक आयोग गठित किया और उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा करने और आपूर्ति तथा सेवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययता लाने के लिए राज्यों में विनियामक आयोगों का गठन करना सुगम और योग्य बताया। अधिनियम का पूरा पाठ आयोग के वेबसाइट वर्षिक www.cercind.org पर उपलब्ध है।

यह आयोग न्यायिक-कल्प तरीकों से कार्य करता है। इसे दीवानी (सिविल) न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। इसमें एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य और पदेन सदस्य के रूप में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष शामिल हैं। स्वतंत्र विनियमन से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देते हुए बहुविषयी दृष्टिकोण की आवश्यकता को मानते हुए अधिनियम निर्धारित करता है कि अध्यक्ष और सदस्यगण ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें इंजीनियरी, विधि, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त अथवा प्रबंधन में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव हो। यह आयोग में प्रदर्शित किए जाने वाले विभिन्न विधाओं का एक व्यापक स्वरूप भी निर्धारित करता है। अध्यक्ष और सदस्यगणों की नियुक्ति अधिनियम के अधीन यथानिर्धारित केंद्र सरकार द्वारा गठित एक चयन समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह अधिनियम एक सचिव की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है, जो अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्य करेगा और जिसकी शक्तियां और कर्तव्य आयोग द्वारा परिभाषित किए जाते हैं।




आयोग
के अध्यक्ष
और
सदस्यों का
संक्षिप्त परिचय



प्रोफेसर एस.एल. राव

अध्यक्ष



प्रोफेसर एस.एल. राव प्रशिक्षण से एक अर्थशास्त्री और अनुभव से एक प्रबंधक हैं। उन्होंने निजी क्षेत्र में तीन विभिन्न कंपनियों में प्रबंधक के रूप में विपणन, निर्यात और सामान्य प्रबंधन में 28 वर्षों की सेवा की है। उन्होंने प्रख्यात संस्थाओं में प्रबंध विषय पर शिक्षण कार्य किया है। प्रबंध सलाहकार के रूप में दो वर्ष के पश्चात उन्हें राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वे वर्ष 1990–1996 के दौरान राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (नेशलन काऊंसिल ॲफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च) के महानिदेशक थे। वे टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट में विशिष्ट विजिटिंग फैलो, पर्थ, आस्ट्रेलिया में इंडियन ओशन सेंटर में विजिटिंग फैलो थे। ये और कई संगठनों के निदेशक मंडल के निदेशक भी रहे हैं। प्रोफेसर एस.एल. राव ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में अगस्त, 1998 में पदभार ग्रहण किया।

वार्षिक रिपोर्ट
1999-2000

श्री डी. पी. सिन्हा
सदस्य



श्री डी.पी. सिन्हा अगस्त, 1998 से ही केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य हैं। वे बी.आई.टी., सिदंरी (रांची विश्वविद्यालय), 1963 के अधीन इलेक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार में इंजीनियरी स्नातक हैं। उन्होंने वर्ष 1995-1998 के दौरान केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य (ग्रिड एवं प्रचालन) के रूप में भी कार्य किया है। विद्युत के अन्तर्राज्यीय और अन्तः क्षेत्रीय विनियम से संबंधित तकनीकी और वाणिज्यिक मुद्दों के विनियमन, उसके व्यापार और बैंकिंग, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर प्रादुर्भाव होने वाले भारतीय विद्युत ग्रिड की नींव रखी, में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसके पूर्व वे वर्ष 1990 से 1995 तक मुख्य इंजीनियर (भार प्रेषण और दूरसंचार) तथा केंद्रीय विद्युत दूरसंचार समन्वय समिति (पीटीसीसी) के अध्यक्ष थे जहां उन्होंने प्रणाली एकीकरण स्केडा, नियंत्रण, संचार, अभिसरण और कम्प्यूटरीकरण से संबंधित कार्य किया। उन्होंने भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए “मास्टर दूरसंचार योजना” तैयार की, जो अब पावरग्रिड द्वारा कार्यान्वयनाधीन है।

कनाडा, जाम्बिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमरीका में अपनी प्रतिनियुक्ति के कारण उनके पास विद्युत इंजीनियरी के सभी पहलुओं का गहन



अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है। वे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (1990–1998) में पदस्थापित रहने के समय भारतीय विद्युत प्रिड संहिता और प्रारूप एबीटी अधिसूचना के प्रारंभिक संकल्पना सृजन में सहायक रहे थे।

जिस पर बाद में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग में कार्यवाही की गई और कतिपय संशोधनों के बाद उसे अनुमोदित किया गया। उनकी यह विविधतापूर्ण पृष्ठभूमि और वृहत् अनुभव आयोग के दिन—प्रतिदिन के कार्य में एक परिसंपत्ति—स्वरूप है।

संगोष्ठी आरामणि


वार्षिक रिपोर्ट
1999-2000

श्री जी. एस. राजामणि

सदस्य



श्री जी.एस. राजामणि अगस्त, 1998 से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य हैं। उन्होंने 1965 से 1998 तक भारतीय रक्षा लेखा सेवा में कार्य किया है। वे रक्षा लेखा के ऊपर महानियंत्रक रहे और संचार, पर्यावरण, इलेक्ट्रॉनिकी, और पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत, कल्याण और रक्षा मंत्रालयों सहित भारत सरकार के कई मंत्रालयों में कार्य किया है। अगस्त, 1998 में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग में पदभार ग्रहण करने के पूर्व, श्री राजामणि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य (आर्थिक और वाणिज्यिक) के पद पर आसीन थे। वे मद्रास विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं और वे भारतीय लोक प्रशासन संस्थान से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी हैं।



श्री ए. आर. रामनाथन

सदस्य

श्री ए.आर. रामनाथन अगस्त, 1998 से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग की सेवा में सदस्य हैं और वे बीस वर्षों से भी अधिक अवधि तक लागत लेखाकार के रूप में प्रैक्टिस करते रहे हैं। उन्होंने वर्ष 1964 में चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया के शिक्षण निदेशालय और श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय में पदभार ग्रहण किया जहां उन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तार पाठ्यक्रमों में लेखा, कंपनी विधि और प्रबंधन लेखा का शिक्षण कार्य किया। वे भारत सरकार द्वारा गठित लागत लेखा परीक्षा नियमावली सलाहकार समिति के सदस्य और भारतीय लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान की केंद्रीय परिषद के सदस्य रहे हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1991 में उनका चयन कंपनी विधि बोर्ड के प्रथम व्यावसायिक सदस्य के रूप में किया गया था और वे बोर्ड के उत्तरी पीठ के अध्यक्ष रहे तथा वर्ष 1998 में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग में सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण करने तक बोर्ड की पीठ (बैंच) के सदस्य थे। उन्होंने संयुक्त रूप से प्रबंधन लेखा पर एक पुस्तक लिखी है जिसका व्यापक रूप से प्रकाशन हुआ है। उन्होंने मैसर्स टाटा मैक ग्रॉहिल द्वारा प्रकाशित 'लागत और प्रबंध लेखा परीक्षा' पर भी एक पुस्तक लिखी है।

साई इंडिया आर समी

वार्षिक रिपोर्ट
1999-2000

श्री आर. एन. श्रीवास्तव

अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
और पदेन सदस्य



श्री आर.एन. श्रीवास्तव अगस्त, 1998 से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य (पदेन) हैं। उन्होंने आई.आई.टी, खड़गपुर और एफ.आई.ई. (इंडिया) से बीएससी, बी.टेक (ऑनर्स), इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी (पावर) में डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने वर्ष 1963 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण समूह 'क' सेवा में पदभार ग्रहण किया। श्री आर.एन. श्रीवास्तव को सामान्यतः विद्युत आपूर्ति उद्योग और विशेषकर विद्युत आयोजना के क्षेत्र में भारत तथा विदेश दोनों में लंबा व्यावसायिक अनुभव प्राप्त है। वे वर्ष 1975 से 1980 तक जल और विद्युत मंत्रालय, अबुधाबी, संयुक्त अरब अमीरात सरकार आयोजना प्रमुख रहे। श्री श्रीवास्तव ने अप्रैल, 1994 से जून, 1995 तक राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान के महानिदेशक के पद पर भी कार्य किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय सम्मेलनों और पत्रिकाओं के लिए कई तकनीकी पत्र और लेख लिखे हैं।



आयोग के उद्देश्य

आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वाहन करने के लिए जिम्मेदार है :-

- (क) केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित उत्पादन कंपनियों के टैरिफ़ को विनियमित करना :
- (ख) केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित कंपनियों के अलावा, ऐसी उत्पादन कंपनियों के टैरिफ़ को विनियमित करना, जो एक से अधिक राज्य में विद्युत का उत्पादन और विक्रय करती है या उनके पास ऐसा करने की मिश्रित स्कीम है:
- (ग) पारेषण यूटिलिटियों की टैरिफ़ समेत ऊर्जा के अंतर्राजिक पारेषण को विनियमित करना :
- (घ) विद्युत उद्योग के क्रियाकलापों में प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता और किफायत को बढ़ावा देना :
- (ङ) टैरिफ़ नीति बनाने में केंद्रीय सरकार को सहायता और सलाह देना जो, –
 - (i) उपभोक्ताओं के लिए उचित हो; और
 - (ii) विद्युत क्षेत्र के लिए पर्याप्त संसाधनों के जुटाने में सुविधा दे :
- (च) विद्युत क्षेत्र के पर्यावरणीय विनियमन के लिए समुचित नीतियों और प्रक्रिया का विकास करने हेतु पर्यावरणीय विनियामक अभिकरणों के साथ सहयोग करना:
- (छ) विद्युत टैरिफ़ से संबंधित विषयों में मार्ग-दर्शक सिद्धांत तैयार करना:
- (ज) उपर्युक्त (क) से (ग) से संबंधित विषयों की बाबत उत्पादन कंपनियों या पारेषण यूटिलिटिज के बीच उठे विवादों की मध्यस्थता या न्यायनिर्णयन करना:



वार्षिक रिपोर्ट 1999-2000

- (झ) केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय आयोग को निर्दिष्ट किसी अन्य मामले पर सरकार की सहायता करना और सलाह देना :
- (ज) अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञाप्ति देना :

अपने दायित्व के भीतर गतिविधियों के निश्चित क्षेत्र के तहत आयोग उद्देश्यों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता को मान्यता देता है। इस उद्देश्य के प्रति, आयोग ने एक अभियान विवरण तैयार किया है जो आगामी वर्षों के दौरान इसकी कार्य योजना को तैयार करने में मार्गदर्शन करेगा।



अभियान (मिशन) का विवरण

आयोग थोक बिजली बाजारों में प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता और मितव्ययता को बढ़ावा देने की, प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार करने, निवेश में अभिवृद्धि करने और मांग व आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने हेतु संस्थागत अवरोधों को दूर करने तथा इस प्रकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की मंशा रखता है। इन उद्देश्यों के अनुसरण में आयोग,—

- भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के प्रतिपादन के माध्यम से क्षेत्रीय पारेषण प्रणालियों के प्रचालन और प्रबंधन में सुधार करेगा और तत्संबंधी संस्थागत व्यवस्था की पुनःसंरचना करेगा।
- एक टैरिफ निर्धारण यंत्र को तैयार करेगा जो थोक विद्युत और संचालन सेवाओं में प्रतिस्पर्धा, कार्य कुशलता और एक समानता को बढ़ावा देगा।
- सभी पदाधारियों (स्टेक होल्डरों) के लिए जानकारी पहुंचाने में सुधार करेगा।
- यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र बनाएगा कि भागीदारी पद्धति में निवेश विनिश्चय पारदर्शी रूप से किए जाएं और न्यूनतम लागत के आधार पर औचित्यपूर्ण हों।
- थोक विद्युत और पारेषण सेवाओं में प्रतियोगी बाजार के विकास के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तनों को सुलभ बनाएगा।

पर्यावरण आवारण

वार्षिक रिपोर्ट
1999-2000

- प्रतियोगी बाजार के सृजन के लिए प्रथम चरण के रूप में पर्यावरणीय सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी समस्याओं तथा विद्यमान विधायी अपेक्षाओं की सीमाओं के भीतर पूँजी और प्रबंधन के प्रवेश और निकास के अवरोधों को हटाने का प्रयास करेगा।
- पर्यावरणीय विनियमों को बनाने में आर्थिक सिद्धांतों को लागू करने के लिए पर्यावरणीय विनियामक अभिकरणों के साथ सहयोग करेगा।



आयोग का मानव संसाधन

आयोग की जिम्मेदारियों के निर्वहन में प्रभावोत्पादकता और दक्षता इंजीनियरी प्रणाली प्रचालन, आर्थिक और वित्तीय विश्लेषण, प्रबंधन लेखाकरण, सूचना प्रबंधन और अन्य संबद्ध कुशलताओं में समुचित विशेषज्ञता और अनुभव वाले उसके कर्मचारियों की गुणवत्ता और कार्यात्मक विशेषज्ञता पर निर्भर करती है। तदनुसार, आयोग के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या इन क्षेत्रों में 31 व्यावसायिकविदों की है। संगठनात्मक चार्ट अनुबंध—I में और आयोग के सदस्यों और प्रमुख कर्मचारियों की सूची अनुबंध—II में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, आयोग सरकार, उद्योग और अनुसंधान संस्थानों में उपलब्ध मानव संसाधन की व्यापक विशेषज्ञता और अनुभव का उपयोग करने की भी इच्छा रखता है।

अध्यक्ष, सदस्यगण और सचिव के गहन प्रयासों से आयोग वर्ष में पर्याप्त कर्मचारियों की भर्ती करने योग्य हुआ। शेष कर्मचारियों की कमी के बावजूद आयोग अपने दायित्व की सीमा में वास्तविक मुद्दों से निपटने की ओर अग्रसर हुआ। वर्ष 1999–2000 के दौरान भर्ती की स्थिति निम्नलिखित सारणी में उपलब्ध है :— (अगले पृष्ठ पर)


वार्षिक रिपोर्ट

1999-2000

सारणी-1

भर्ती - 1999-2000

क्रम सं.	पद का नाम	साक्षात्कार की तारीख	सूची बद्ध उम्मीदवारों की संख्या	वास्तव में पदभार ग्रहण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या
1.	सहायक	23.4.1999	3	3
2.	प्रधान निजी सचिव	15.9.1999	1	1
3.	निजी सहायक	15.9.1999	2	1
4.	एसी (पर्या.)	07.1.2000	3	1
5.	चीफ (अर्थ.)	13.1.2000	शून्य	शून्य (केवल एक उम्मीदवार उपस्थित हुआ)
6.	डीसी (अर्थ.)	14.1.2000	2	1
7.	एसी (एमआईएस)	06.1.2000	2	1
8.	एसी (अर्क.)	06.1.2000	2	1
9.	जेसी (वित्त)	01.2.2000	1	1
10.	डीसी (वित्त)	01.2.2000	1	1
11.	एसी (वित्त)	03.2.2000	2	1
12.	डीसी (जनसंपर्क)	03.2.2000	शून्य	शून्य
13.	प्रधान निजी सचिव	07.1.2000	1	1
14.	निजी सचिव	07.1.2000	3	1
15.	निजी सचिव	मार्च, 1999 (1998-1999)	वर्ष 1998-1999 के दौरान साक्षात्कार लिया गया	1 (दिनांक 1.10.99 को पदभार ग्रहण किया)
	जोड़	—	23	15



आयोग के पास अधिनियम के अधीन बहुत व्यापक दायित्व है। इसका क्षेत्राधिकार या तो प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः विद्युत क्षेत्र में कार्यकलापों की संपूर्ण सीमा तक विस्तारित है। केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाली अथवा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों के टैरिफ, एक से अधिक राज्य में उत्पादन और बिक्री के लिए मिश्रित स्कीम वाली अन्य कंपनियों का टैरिफ, पावरग्रिड द्वारा ऊर्जा का पारेषण और टैरिफ सहित ऊर्जा का अन्तर्राज्यीय पारेषण कुछ कार्यकलाप हैं, जिनमें आयोग प्रत्यक्षतः कार्य कर सकता है। अप्रत्यक्षतः यह केंद्रीय सरकार की उसकी ऐसी टैरिफ नीति, जो उपभोक्ता के लिए उचित होगी और विद्युत क्षेत्र के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना सुलभ बनाएगी, बनाने में सहायता करता और सुझाव देता है। विद्युत कानून अधिनियम, 1998 (भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के संशोधन के माध्यम से) के उपबंधों के अधीन आयोग को अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणालियों के लिए पारेषण संगठनों का लाइसेंस अनुमोदित करने की शक्ति प्रदान की गई है। विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 को संशोधन के माध्यम से आयोग अब क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों के लिए अदा किए जाने वाले शुल्क और प्रभारों को निर्दिष्ट करेगा। उपलब्ध इन हाउस कुशलता और अनुभव में संवृद्धि करने के लिए आयोग परामर्शदाताओं की सेवा लेता है और इस उद्देश्य के लिए इसने विनियम बनाए हैं।

वार्षिक रिपोर्ट
1999-2000

पूर्व वर्ष का मूल्यांकन

1. प्रणालन

(i) केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) :

केंद्रीय आयोग को नीति-निर्माण, गुणवत्ता, लाइसेंसधारियों, लाइसेंस की शर्तों और अपेक्षाओं के साथ द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की निरंतरता और सीमा, उपभोक्ता हितों का सरक्षण तथा ऊर्जा की आपूर्ति और संगठनों द्वारा कार्यनिष्ठादान के समग्र मानकों के संबंध में सलाह देने के लिए आयोग ने केंद्रीय सलाहकार समिति का गठन किया, जिसमें वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रम, उपभोक्ता, गैर-सरकारी संगठनों और ऊर्जा क्षेत्र में शैक्षणिक और अनुसंधान निकायों का प्रतिनिधित्व है। केंद्रीय सलाहकार समिति की दूसरी बैठक दिनांक 16 जुलाई, 1999 को हुई, जिसमें प्रारूप परामर्श पत्र पर चर्चा हुई थी।

(ii) वर्ष में जारी अधिसूचनाएँ :

वर्ष 1999-2000 में आयोग की निम्नलिखित अधिसूचनाएँ हैं :-



सारणी-2

अधिसूचनाएं - 1999-2000

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या और तारीख	विषय	तारीख, जिस दिन विद्युत मंत्रालय को भेजा गया
1.	दिनांक 26.4.99 का 27	के.वि.वि.आ. (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999	26.04.1999
2.	दिनांक 31.5.99 का 48	के.वि.वि.आ. (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 (संशोधन)	19.07.1999
3.	दिनांक 30.8.99 का 70	के.वि.वि.आ. (विविध उपबंध) आदेश, 1999	09.10.1999
4.	दिनांक 26.11.99 का 101	के.वि.वि.आ. (विविध उपबंध) आदेश, 1999 (संशोधन)	05.07.1999
5.	दिनांक 31.12.99 का 114	के.वि.वि.आ. (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) विनियम, 1999	20.01.2000



वार्षिक रिपोर्ट
1999-2000

(क) के.वि.वि.आ. (कारोबार का संचालन) आदेश, 1999 :

आयोग ने दिनांक 26 अपैल, 1999 को अपना "के.वि.वि.आ. (कारोबार का संचालन) विनियम," 1999 अधिसूचित किया और तत्पश्चात् इसे आयोग के कार्यकरण में अनुपालन की जाने वाली कार्यविधियों को निर्धारित करते हुए दिनांक 31 मई, 1999 को संशोधित किया गया। जनता की टिप्पणियां और केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों से सुझाव प्राप्त करने के बाद विनियम तैयार किए गए।

(ख) के.वि.वि.आ. (विविध उपबंध) आदेश, 1999 :

आयोग ने दिनांक 27 अगस्त, 1999 को आयोग का न्यायिक कार्य संचालित करने में अनुपालन की जाने वाली कतिपय विविध कार्यविधियाँ निर्धारित करते हुए "के.वि.वि.आ. (विविध उपबंध)" आदेश, 1999 जारी किया। इस आदेश में जो कार्यविधियाँ हैं उनका संबंध याचिका प्रस्तुत करने, याचिकादाता के प्रमाणीकरण, आयोग के समक्ष प्रतिनिधित्व करने वाले प्राधिकारी, प्रमाणित प्रतियाँ देने, याचिका पर फाइलिंग फीस का भुगतान, आयोग के कार्यालय स्थान और अवधि आदि के लिए है।

(ग) के.वि.वि.आ. (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) विनियमन, 1999 :

आयोग ने दिनांक 31 दिसम्बर, 1999 को "के.वि.वि.आ. (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) विनियम", 1999 अधिसूचित किया, जो दिनांक 21 सितम्बर, 1999 से लागू हुआ। परामर्शदाताओं की नियुक्ति विशिष्ट किस्म के कार्यों के निष्पादन हेतु की गई थी, जिसके लिए या तो आयोग के कर्मचारियों में कुशलता उपलब्ध नहीं थी अथवा कार्य की प्रकृति और उनकी विशिष्ट और समयबद्ध अपेक्षा ने उसके लिए मांग की। परामर्शदाता कोई भी व्यक्ति, फर्म, निकाय अथवा संघ या व्यक्तिगण हो सकते हैं, जो आयोग के नियोजन में नहीं हैं, जो विशिष्ट किस्म का ज्ञान और कुशलता रखते हैं अथवा जिनकी उस तक अभिगम्यता है।



2. वार्षिक लेखा विवरणी, 1999-2000

(क) व्यय

आयोग को वर्ष 1999-2000 के लिए 550 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया था। पूर्व वर्ष के समान, चालू वर्ष में भी व्यय आवंटन से कम था। किराए, दरों और करों पर व्यय का बड़ा हिस्सा था। कार्यालय व्यय और अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन का अगला स्थान था।

सारणी-3

वित्तीय वर्ष, 1999-2000 के दौरान बजट अनुमान और संशोधित अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण

मुख्य शीर्ष : "2801" विद्युत
लद्य शीर्ष : 80.800

(लाख रुपये)

विनियोजन की इकाई	ब.अ., 1999-2000	स.अ. 1999-2000	वास्तविक व्यय, 1999-2000
वेतन	150.0	70.5	63.46
घरेलू यात्रा व्यय	20.0	10.0	9.80
विदेश यात्रा व्यय	25.0	14.0	13.99
कार्यालय व्यय	140.0	140.0	124.43
व्यावसायिक व्यय	40.0	3.5	3.28
किराया, दरें और कर	150.0	173.0	172.97
अन्य प्रभार	25.0	0	0
जोड़	550.0	411.0	387.93

राजकीय आपारिटा

वार्षिक रिपोर्ट
1999-2000

(ख) आय

संचित निधि (कार्पस फंड) का प्रशासन :

बजटीय आबंटन के अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने आयोग के गठन तथा नए संस्थान को आरंभ करने से संबद्ध व्ययों को पूरा करने के लिए आयोग को 200 लाख रुपए की एक संचित निधि (कार्पस फंड) आबंटित की है। पूरे आयोग द्वारा इस खाते में निधियों को उपभोग की पूर्णरूपेण से देखभाल की जाती है। आयोग को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से व्यय की स्वीकृति आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। आयोग इस निधि से अर्जित ब्याज का उपयोग बहुत चयनात्मक और किफायती तरीके से करता रहा है। ब्याज से होने वाली आय का प्रयोग मुख्यतः उन कर्मचारियों, जिन्हें संविदा आधार पर नियोजित किया गया था, के वेतन पर होने वाले तथा अन्य प्रासंगिक व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है।

वर्ष 1999-2000 के दौरान संचित निधि (कार्पस फंड) से 11,59,345/- रुपए की राशि खर्च की गई थी। वर्ष 1999-2000 में संचित निधि से प्राप्त ब्याज की राशि 18,50,092/- रुपए थी।

3. वर्ष 1999-2000 के दौरान कार्य निष्पादन

समीक्षाधीन वर्ष में आयोग ने विद्युत क्षेत्र में विनियामक प्रक्रिया का सांस्थानीकरण करने की ओर एक और कदम बढ़ाया। यद्यपि वि.वि.आ. अधिनियम दिनांक 25, अप्रैल, 1998 से लागू हुआ, आयोग को उत्पादन टैरिफ के संबंध में क्षेत्राधिकार 15 मई, 1999 से प्राप्त हुआ। इस तारीख को पूर्व उत्पादन टैरिफ के क्षेत्राधिकार का प्रयोग विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा 43 का (2), जिसे केंद्रीय सरकार की स्वामित्व वाली अथवा नियंत्रित कंपनियों के संबंध में दिनांक 15 मई, 1999 से विलोपित कर दिया गया था, के माध्यम से केंद्रीय सरकार और अन्य उत्पादन कम्पनियां जो एक से अधिक राज्य में विद्युत का उत्पादन और विक्रय करती हैं और



उनके पास ऐसा करने की मिश्रित स्कीम है, द्वारा किया जाता था। आयोग ने टैरिफ के अनुमोदित होने तक की अवधि अथवा आयोग द्वारा अगला कोई आदेश पारित करने, उनमें से जो भी पहले हो, तक 15 मई, 1999 को मौजूद टैरिफ जारी रखने की अनुमति दी।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग को 47 याचिकाएं प्राप्त हुई, जिनमें से 7 को अंतिम रूप से निपटा दिया गया और 39 मामलों में अंतरिम आदेश पारित किए गए थे। आयोग के समक्ष याचिकाओं का विवरण अनुबंध-III पर है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित सामान्य आदेश पारित किए गए :

(क) भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता आदेश :

भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता : भारतीय विद्युत प्रणाली को पांच क्षेत्रीय ग्रिडों यथा, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी और पूर्वोत्तर में विभाजित किया गया है। पूर्व में, इन क्षेत्रीय ग्रिडों का कार्यनिष्ठादान संतोषजनक नहीं रहा है। बोल्टता और आवृत्ति, जो आपूर्ति की गुणवत्ता प्रदर्शित करती है, निर्दिष्ट सीमा से व्यापक रूप

वार्षिक रिपोर्ट 1999-2000

से घटती-बढ़ती है। आपूर्ति की खराब गुणवत्ता का मुख्य कारण राज्य विद्युत बोर्ड और उत्पादक कंपनियों सहित संगठनों द्वारा ग्रिड अनुशासनहीनता का कृत्य है। ग्रिड अनुशासनहीनता इन कृत्यों का कारण कुछ हद तक प्रचलनात्मक कार्यविधि की कमी और किसी वाणिज्यिक उपाय/दंड का अभाव है। इस स्थिति को सुधारने के लिए, आयोग ने केंद्रीय पारेषण संगठन (सीटीयू) को एक प्रारूप भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यह ड्राफ्ट सीटीयू द्वारा अप्रैल, 1999 में प्रस्तुत किया गया था। प्रारूप आईईजीसी पर जुलाई, 1999 में सुनवाई हुई थी और आईईजीसी को अंतिम रूप देने के लिए अक्टूबर, 1999 में आदेश जारी किया गया था। तत्पश्चात्, सीटीयू द्वारा एक आवेदन के प्रत्युत्तर में आयोग ने आईईजीसी पर अपने आदेशों के कतिपय निर्देशों का अनुपालन करने के लिए समय बढ़ाने की स्वीकृति दी। तदनुसार, सीटीयू को दिसम्बर, 1999 में अंतिम आईईजीसी जारी किया गया और इसे 1 फरवरी, 2000 से लागू किया गया। भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता का उद्देश्य सख्त तकनीकी नियमों और ग्रिड अनुशासन लागू करने और प्रणाली को संगत बनाने के लिए उपयुक्त वाणिज्यिक संकेत शामिल करके प्रणाली प्रचालन में सुधार करना है।

ग्रिड संहिता की मुख्य विशेषताएं

- कनेक्शन की शर्त सभी उत्पादकों, पारेषण कंपनियों/राज्य विद्युत बोर्डों और अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली (आई.एम.टी.एस.) से संबद्ध अन्यों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले नियम निर्दिष्ट करती हैं। आईएसटीएस में केंद्रीय उत्पादक स्टेशनों से राज्यों को विद्युत की सुपुर्दगी करने तथा दो राज्यों की जोड़ने वाली पारेषण लाइनों के लिए प्रयुक्त पारेषण लाइन शामिल है। यह संहिता आईएसटीएस से संबंधित सभी उपस्करों के लिए तकनीकी अपेक्षाएं निर्दिष्ट करती है। यह आईएसटीएस से संबंधित आयोजना के विभिन्न पहलुओं पर भी कार्यवाई करती है।



- प्रचालन संहिता का उद्देश्य कतिपय नियम निर्धारित करके संपूर्ण प्रचालनात्मक किफायत, प्रणाली की सुरक्षा और विश्वसनीयता प्राप्त करना है।
- संगठनों को स्वचालित कम आवृत्ति वाली लोडशेडिंग स्कीमें प्रदान करना होगा। यह आगे आवृत्ति की गिरावट को समाप्त करेगा और संपूर्ण क्षेत्रीय ग्रिड की विफलता रोकेगा। लद्यु उत्पादक इकाइयों को छोड़कर सभी उत्पादक इकाइयों में आवृत्ति की घट-बढ़ के प्रत्युत्तर में उनके उत्पादन स्तर को परिवर्तित करने के लिए स्वतंत्र नियंत्रक होंगे।
- उप-पारेषण और विवरण में लगी सभी एजेंसियों को अपनी प्रणालियों में अपेक्षित अभिक्रियाशील प्रतिपूर्ति प्रदान करनी होगी। इस समय संगठन ग्रिड से ही अत्यधिक अभिक्रियाशील विद्युत आहरित करते हैं, जो निम्न वोल्टता की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ग्रिड से अभिक्रियाशील विद्युत का आहरण हतोत्साहित करने के लिए संहिता वोल्टता की दशाओं पर निर्भर करते हुए 4 पैसे प्रति यूनिट अभिक्रियाशील विद्युत (केवीएआरएच) का दंड/प्रोत्साहन निर्दिष्ट करता है। इन

वार्षिक रिपोर्ट 1999-2000

उपायों का अभिप्राय उपभोक्ता के सिरे पर संतोषजनक वोल्टता रत्तर सुनिश्चित करना है।

- यह संहिता राज्य विद्युत बोर्डों और संबंधित संगठनों को पहले से ही अपनी दैनिक भार संबंधी मांग का अनुमान करने की व्यवस्था प्रदान करता है। वे तब वांछनीय आवृत्ति बनाए रखने के लिए समुचित लोडशेडिंग द्वारा और विद्युत के अन्तर्राज्यीय आदान-प्रदान के माध्यम से केंद्रीय उत्पादक स्टेशनों से अपनी ऊर्जा आहरण की समय-अनुसूची तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार, ग्रिड संहिता का अभिप्राय: उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुधारना है।


(ख) उपलब्धता-आधारित टैरिफ (एबीटी) आदेश :

आयोग ने ग्रिड अनुशासन लागू करने के लिए क्षमता प्रभार के रूप में नियत तत्व, ऊर्जा प्रभारों के रूप में परवर्ती तत्व और अनुसूचित अन्तःपरिवर्तन (यूआई) प्रभारों वाला उपलब्धता-आधारित टैरिफ (एबीटी) की संकल्पना शुरू की। उपलब्धता-आधारित टैरिफ (एबीटी) की सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

- किसी अवधि के लिए नियत प्रभार को लाभभोगियों के बीच संबंधित स्टेशन से विद्युत की उनकी हकदारी के अनुपात में बांटा जाए ;
- प्रभारित किए जाने के लिए प्रस्तावित ऊर्जा प्रभार लाभभोगी द्वारा अनुसूचित आहरण की सीमा तक ही होंगे ;
- उपरोक्त दो प्रभारों के अतिरिक्त, उपलब्धता-आधारित टैरिफ (एबीटी) में अपेक्षित तीसरा प्रभार अनुसूचित अन्तःपरिवर्तन (यूआई.प्रभार) के लिए है। इस तत्व द्वारा प्रणाली में ग्रिड अनुशासन लाने का अनुमान है और अनुसूची से विपणन पर निर्भर करते हुए प्रभार देय/प्राप्तव्य हैं और उस समयावधि में ग्रिड आवृत्ति के अधीन हैं ;



- (iv) यह उत्पादक स्टेशन को उपलब्धता अथवा उत्पादक स्टेशन की घोषित क्षमता के आधार पर नियत लागत की प्रतिपूर्ति करने का भी हकदार बनाएगा। इसमें उपलब्धता की अधिक/कम घोषणा की जांच करने और दंडित करने के भी उपाय हैं।
- (v) यह प्रोत्साहनों के संबंध में यथापूर्व रिश्ते बनाए रखना भी संकल्पित करता है।



आयोग ने वर्ष के दौरान दिनांक 9 मार्च, 2000 को पिपावव मेंगा विद्युत परियोजना को उपलब्धता—आधारित टैरिफ (एबीटी) की प्रयोज्यता पर याचिका के लिए एक दूसरा आदेश जारी किया।

(ग) थोक विद्युत टैरिफ पर परामर्श पत्र :

आयोग ने विभिन्न पदाधारियों के विचार प्राप्त करने के लिए दिनांक 15 सितम्बर, 1999 को थोक विद्युत टैरिफ पर एक परामर्श पत्र प्रकाशित किया। इस पत्र में भारत में थोक विद्युत टैरिफ के इतिहास, नीतिगत ढांचा, जिसके भीतर आयोग को कार्य करना है, विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा और बाजार का क्या अर्थ हो सकता है और

वार्षिक रिपोर्ट
1999-2000

उत्पादन तथा पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए वैकल्पिक विधियों का उल्लेख किया गया था।

विचारों का आदान-प्रदान करने में पदाधारियों को योग्य बनाने के लिए अक्टूबर, 1999 में बंगलौर, मुंबई, कोलकत्ता, शिलांग और नई दिल्ली में क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों के मुख्यालय में सम्मलेन आयोजित किए गए थे।

(घ) ताप प्रचालनात्मक मानदंड :

आयोग अपने कारोबार संचालन विनियमों के विनियम 78 के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन उत्पादक कंपनियों के मौजूदा तथा साथ ही नए संयंत्रों के टैरिफ निर्धारण की शर्तें निर्धारित करने के लिए प्रक्रियारत हैं। वर्ष 1997 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिए गए ताप प्रचालनात्मक मानदंडों को केंद्रीय उत्पादक संगठनों, राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य के संगठनों और विद्युत क्षेत्र में प्रख्यात विशेषज्ञों से सुझाव/टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए दिनांक 4 जनवरी, 2000 को प्रकाशित किया गया। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने प्रख्यात विद्युत विशेषज्ञों के साथ दिनांक 18 फरवरी, 2000 को विचार-विमर्श भी किया और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के दिनांक 4 जनवरी, 2000 के उपलब्धता-आधारित टैरिफ (एबीटी) आदेश का ध्यान रखते हुए दिनांक 28 फरवरी, 2000 को पूरक आदेश जारी किया। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परामर्शदाता के रूप में ताप प्रचालनात्मक मानदंड को अंतिम रूप देने के कार्य में आयोग की सहायता की जा रही है।

(ङ.) केंद्रीय संगठनों के लिए पूँजी की लागत और मूल्यहास मानदंड :

टैरिफ विनियामक के रूप में अपने कार्य के हिस्से के लिए आयोग ने निम्नलिखित क्षेत्रों में अध्ययन करने की प्रक्रिया प्रारंभ की :



(i) केंद्रीय क्षेत्र के संगठनों के लिए पूँजी की लागत पर अध्ययन

आयोग ने पूँजी की लागत का अध्ययन दिनांक 11 अक्टूबर, 1999 को मैसर्स 'क्राइसिल' एडवाइजरी सर्विसेज को सौंपा था। परामर्शदाता ने आयोग को कई परिणाम प्रस्तुत किया, जिन्हें विशेषज्ञों तथा साथ ही केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों को परिचालित किया गया था और जिसके बाद सुनवाई/विचार-विमर्श हुआ था। अध्ययन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

1. भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के आधार पर पूँजी की जोखिम भारांशित लागत के आंकलन के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों की समीक्षा।
2. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के क्षेत्राधिकार के अधीन विद्युत संगठनों को उनके वास्तविक कार्य निष्पादन के आधार पर अब तक अनुमत्य पूँजी की लागत की समीक्षा।
3. इन विद्युत संगठनों के जोखिम परिदृश्य का विश्लेषण।
4. पूँजी की जोखिम भारांशित लागत के आंकलन के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का विश्लेषण और विद्युत संगठनों के लिए उसका हिसाब निकालने के लिए इष्टतम दृष्टिकोण।
5. पूँजी की लागत के लिए सुझाव दिए गए दृष्टिकोण का अनुप्रयोग और विभिन्न विनियमित संगठनों के कार्य निष्पादन पर उसका प्रभाव।

(ii) केंद्रीय क्षेत्र के संगठनों के लिए मूल्यह्यास मानदंडों पर अध्ययन

वित्तीय मानदंडों की समीक्षा करने की प्रक्रिया में आयोग ने केंद्रीय उत्पादक स्टेशनों के लिए मूल्यह्यास मानदण्ड की समीक्षा करने का कार्य दिनांक 21 जनवरी, 2000 को मैसर्स आईसीआरए एडवाइजरी सर्विसेज को सौंपा। परामर्शदाता से केंद्रीय क्षेत्र के संगठनों पर विद्युत के उत्पादन और पारेषण में लागू टैरिफ और आयकर के प्रयोजनों के लिए मूल्यह्यास के मानदण्डों की समीक्षा करने, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों पर रिपोर्ट, मौजूदा मानदंडों के वित्तीय प्रभाव का विश्लेषण और उनकी प्रभावोत्पादकता

वार्षिक रिपोर्ट 1999-2000

और विद्युत उत्पादन और पारेषण में केंद्रीय क्षेत्र के संगठनों के लिए वित्तीय उलझनों के साथ मूल्यव्यास के मानदंड में संशोधनों की सिफारिश करने के लिए कहा गया।


मैसर्स आईसीआरए एडवाइजरी सर्विसेज ने दिनांक 29 मार्च, 2000 को रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। यह रिपोर्ट सुनवाई की प्रक्रिया की व्यवस्था करने के लिए विभिन्न पदाधारियों को परिचालित करती है।

(च) संगठनों से आंकड़ों का दर्ज किया जाना :

संगठनों से आंकड़े संग्रहण को युक्ति संगत बनाने के लिए, पारेषण के लिए वार्षिक दर्ज कराने (फाइलिंग) की अपेक्षाओं को अंतिम रूप दिया गया और एसएनसी-लेवलिन की सहायता से जारी किया गया। ताप और जल विद्युत उत्पादन के लिए वार्षिक फाइलिंग की अपेक्षाएं तैयार की जा रही थी।

(छ) जल विद्युत स्टेशनों पर उपलब्धता-आधारित टैरिफ की प्रयोज्यता :

आयोग ने अपने दिनांक 4 जनवरी, 2000 के आदेश द्वारा 2044 मेगावाट की कुल क्षमता सहित देश के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में अवस्थित एनएचपीसी के जल विद्युत स्टेशनों के लिए उपलब्धता-आधारित टैरिफ (एबीटी) के कार्यान्वयन का निर्देश दिया। उत्तर-पूर्व क्षेत्र के संबंध में आयोग ने यह विचार किया कि उस क्षेत्र में विशेष स्थिति के दृष्टिगत उपलब्धता-आधारित टैरिफ (एबीटी) को मौजूदा रूप में कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा। इसलिए इसने 'नीपको' को उपलब्धता-आधारित टैरिफ (एबीटी) के कार्यान्वयन के कार्यक्रम पर सभी संबंधित प्रतिवादियों के साथ एक याचिका के साथ आगे कदम बढ़ाने का निर्देश दिया है। तथापि, तकनीकी विचार-विमर्श को लंबित रखते हुए उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में जल विद्युत स्टेशनों के लिए समय-अनुसूची जारी करना बाद की तारीख तक स्थगित कर दिया गया है। इस बीच उपलब्धता-आधारित



टैरिफ आदेश को एनटीपीसी और एनएचपीसी द्वारा आदेश के विरुद्ध समीक्षा याचिका दाखिल करने के कारण लागू नहीं किया गया है।



(ज) पर्यावरण विनियमन :

इआरसी अधिनियम, 1998 की धारा 13 (च) के अनुसार विद्युत क्षेत्र के पर्यावरणीय विनियमन के लिए उपयुक्त नीतियां और कार्यविधियां विकसित करने के लिए पर्यावरणीय विनियामक एजेंसियों के साथ मिलकर पर्यावरणीय संरक्षण के कार्य का निर्वहन करना आयोग का उत्तरदायित्व है। इस संबंध में आयोग ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के लिए पर्यावरणीय कार्यसूची नामक एक मूल दस्तावेज तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया है।

वर्ष 1999-2000 के दौरान केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के लिए पर्यावरणीय कार्यसूची

ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान संस्थान टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) को दिनांक 24 जनवरी, 2000 को पर्यावरणीय कार्यसूची तैयार करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया था। इस दस्तावेज में विद्युत

संगठनात्मक

वार्षिक रिपोर्ट
1999-2000

क्षेत्र से संबंधित मौजूदा पर्यावरणीय विधान और क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय मार्गनिर्देश और मानदण्ड शामिल हैं। इसमें वे आवश्यक कार्यवाईयां भी शामिल होती हैं, जिसे आयोग पर्यावरणीय विनियामक अभिकरणों के सहायोग से विद्युत क्षेत्र के सतत विकास के लिए करने की इच्छा रखता है।





वर्ष 2000–2001 के लिए कार्यसूची

जल विद्युत

आयोग वर्ष 2000–2001 के दौरान जल विद्युत उत्पादन के निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देने का प्रस्ताव रखता है :

- (i) आयोग को दिनांक 4.1.2000 के उपलब्धता-आधारित टैरिफ (एबीटी) आदेश को कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित जल विद्युत संयंत्रों की अनुसूची को अंतिम रूप देना।
- (ii) आयोग की क्षेत्राधिकार के अधीन सभी केंद्रीय जल विद्युत उत्पादन स्टेशनों की डिजाइन ऊर्जा की समीक्षा।
- (iii) विभिन्न जल विद्युत संयंत्रों पर यथा लागू मानदंड लगभग एक दशक पूर्व तैयार किए गए थे। आयोग अपने क्षेत्राधिकार के अधीन जल विद्युत संयंत्रों के प्रचालनात्मक तथा साथ ही प्रचलन तथा अनुरक्षण लागत के मानदंडों की समीक्षा करने का प्रस्ताव रखता है।
- (iv) आयोग भावी जल विद्युत टैरिफ विकल्पों के लिए एक संकल्पना पत्र प्रकाशित करने का प्रस्ताव रखता है, जो सुरक्षा/सामाजिक कारकों, संयंत्र विशिष्ट अनुप्रयोग बनाम साझा टैरिफ, जल विद्युत संयंत्रों में गाद-जमाव समरस्याओं, पूर्व बनाम पश्च निर्माण मुददों, शीर्ष और शीर्षतर मूल्य निर्धारण आदि जैसी अराधारण मदों के लिए भुगतान जैसे मुददों पर ध्यान देगा।
- (v) वार्षिक रूप से दाखिल करने की अपेक्षाएँ : आयोग एनएचपीसी और “नीपको” से सूचना/आंकड़े संग्रहण करने और अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न जल विद्युत स्टेशनों के लिए एक डाटाबेस सृजित करने के लिए अपनी वार्षिक दाखिल करने की अपेक्षाओं (तकनीकी और वित्तीय पैरामीटरों पर विभिन्न प्रणाली वाली) को अंतिम रूप देने और अधिसूचित करने की आशा रखता है।

वार्षिक रिपोर्ट

1999-2000

ताप विद्युत :

- (i) केंद्रीय उत्पादक संगठनों के लिए ताप प्रचालनात्मक मानदण्डों पर आदेश ;
- (ii) ताप उत्पादन के लिए वृद्धि सहित प्रचालन और अनुरक्षण लागत मानदण्डों पर आदेश ;
- (iii) टैरिफ दाखिल करने के प्रपत्र अधिसूचित करना ;
- (iv) कार्यनिष्ठादन मानकों और मूल्य विनियमन का अनुवेक्षण।

पारेषण :

- (i) विद्युत पारेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए रूपात्मकताओं को अंतिम रूप देना ;
- (ii) पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए प्रचालन और अनुरक्षण लागत सहित प्रचालनात्मक मानदण्डों पर आदेश ;
- (iii) प्रोत्साहनों का यौक्तिकीकरण, लाभभोगियों को आयकर आवंटन, पूर्व अनुमान द्वारा भूतलक्षी समायोजन हटाना, पासथ्रु लागत के लिए भी स्वचालित समायोजन।
- (iv) वाणिज्यिक/तकनीकी आधार पर लाभभोगियों को विद्युत आपूर्ति के विनियमत के लिए कार्यविधि को अंतिम रूप देना ;
- (v) भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी) की समीक्षा।

वित्त :

- (i) केंद्रीय आपूर्ति संगठनों और मेगा विद्युत परियोजनाओं के उत्पादन टैरिफ के लिए पूँजी की लागत, मूल्यद्वारा, प्रचालन और अनुरक्षण व्यय के मानदण्डों सहित थोक टैरिफ निर्धारण विधि तैयार करना ;
- (ii) अभिक्रियात्मक ऊर्जा प्रभारों के सक्षम समुपयोजन सहित पारेषण मूल्य-निर्धारण विधि तैयार करना ;



- (iii) प्रोत्साहनों का यौक्तिकीकरण ; लाभभोगियों को आयकर आवंटन, पूर्व अनुमान द्वारा भूतलक्षी समायोजन हटाना, पासथु लागत के लिए स्वचालित समायोजन आदि ;
- (iv) उपलब्धता-आधारित टैरिफ (एबीटी) की समीक्षा / कार्यान्वयन करना ;
- (v) ताप और जल विद्युत उत्पादन संगठनों के लिए दाखिल करने की अपेक्षाओं को अंतिम रूप देना ;
- (vi) टैरिफ दाखिल करने के प्रपत्र / वित्तीय मॉडल को तैयार करना ;
- (vii) प्रतिस्पर्धी रूप से बोली वाली मेंगा विद्युत परियोजना के लिए विनिमय तैयार करना ;
- (viii) विभिन्न मानदण्डों को अंतिम रूप देने के फलस्वरूप अंतिम टैरिफ आदेश जारी करना और सभी अंतरिम आदेशों पर विचार करना ।

अर्थव्यवस्था :

(i) प्रतिस्पर्धी बोली देने के लिए विनियमन पर परामर्शी :

निजी निवेश आकर्षित करने के लिए समझौता ज्ञापन मार्ग से धीरे-धीरे प्रतिस्पर्धी बोली देने के मार्ग में अंतरण के साथ प्रतिस्पर्धी बोली देने की प्रक्रिया का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विनियम बनाने की आवश्यकता है। प्रस्तावित परामर्शी उत्पादन और पारेषण दोनों में प्रतिस्पर्धी बोली देने के लिए विनियम तैयार करने का कार्य करेगा। परामर्शी निम्नलिखित करेगा :—

- प्रतिस्पर्धी बोली देने में अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार की समीक्षा भारत में वर्तमान कार्यविधि का आंकलन और मौजूदा विधिक और प्रशासनिक ढांचे के भीतर अनुपालन की जाने वाली कार्यविधियों की सिफारिश ;
- बोली देने की प्रक्रिया की एकात्मकता सुनिश्चित करने के लिए बोली देने की प्रक्रिया के भीतर सुरक्षा, परीक्षण और उनकी समयावधि निर्दिष्ट करना ;
- बोली दरस्तावेजों का मूल्यांकन करने के लिए मानदण्ड निर्धारित करना ।

वार्षिक रिपोर्ट 1999-2000

(ii) विद्युत संगठनों के लिए संगत क्षेत्रों में मुद्रास्फीति का अनुवीक्षण :

आयोग विद्युत क्षेत्र के लिए संगत विशिष्ट मूल्य सूचकांक निर्मित करने और उसे नियमित आधार पर चलाने का प्रस्ताव रखता है। इस सूचकांक में थोक मूल्य सूचकांक के बे संघटक होंगे। जो विद्युत संगठनों के कार्यकलापों से संबद्ध होंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ यह विद्युत संगठनों के प्रचालन और अनुरक्षण व्यय का अनुवीक्षण करने में सहायता करेगा।

(iii) कर्मचारी चर्चा पत्र :

ताप और जल विद्युत स्टेशनों और आईएसटीएस के प्रचालन और अनुरक्षण व्यय की वार्षिक वृद्धि विशेषताओं पर कर्मचारी चर्चा पत्र।

पर्यावरण :

- (i) विद्युत क्षेत्र में पर्यावरणीय विनियमों के लिए आर्थिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर परामर्शी पत्र तैयार किया जाएगा। यह संगत नीतिगत विकल्पों का पता लगाने, क्षेत्र में सम्मिलित कठिन व्यापार से स्तर मुद्दों तक पहुंचने के लिए साझा आधार का पता लगाने और निर्णयकर्ताओं (पर्यावरणीय विनियामक अभिकरणों जैसे पर्यावरण और वन मंत्रालय/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) को विद्युत क्षेत्र में बाजार आधारित साधनों (एमबीआई) के प्रयोग में नीतिगत परिवर्तनों के लिए आवश्यकता के बारे में सूचित करने के लिए सहायक हो सकता है।
- (ii) संगठनों में पर्यावरणीय संरक्षण के लिए मौजूदा व्यवस्थाओं की जानकारी लेना/समीक्षा करना, संस्थापना में पर्यावरण संरक्षण उपायों पर निवेश तथा प्रचालन में किए जाने वाले व्यय पर आंकड़ा प्रस्तुत करना और दर्ज करना उसके लिए एक उपयुक्त ढांचा तैयार किया जाएगा। पर्यावरणीय लागत को नियमित आधार पर परिकलित करना अनुमेय लागत/तल चिन्ह (बैंचमार्क) लागत निर्धारित करने में सहायक होगा जब वे ऐरिफ अनुप्रयोग के लिए आते हैं।



(iii) ऐसे व्यापक नीतिगत ढांचे का पता लगाने के लिए जो विद्युत क्षेत्र से पर्यावरणीय प्रभावों को दूर करेगा, विनियमित संगठनों में निम्नलिखित उपायों पर विचार करते हुए मूल अध्ययन/मामला अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन में विचार किए जाने वाले पर्यावरणीय उपशमन उपाय निम्नानुसार हैं :

- मांग पक्ष प्रबंध (डीएसएम) ;
- मौजूदा विद्युत संयंत्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण ;
- पारेषण और विवरण तथा पुनर्वास ;
- नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियां
- कोयला शुद्धिकरण ; स्वच्छ-कोयला प्रौद्योगिकियां ;
- राख समुपयोजन ;

वार्षिक रिपोर्ट
1999-2000

- उन्नत प्रौद्योगिकी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना।


चयनित विनियमित संगठनों का पार्श्व चित्र

आयोग को विनियमित संगठनों का पार्श्व चित्र अनुबंध-IV में है।



केंद्रीय विद्युत विभिन्नामक आयोग

संगठनात्मक चार्ट (31 मार्च 2000 की स्थिति के अनुसार व्यावसायिक स्टाफ)




वार्षिक रिपोर्ट
1999-2000

अनुबंध—II

आयोग के सदस्यों और मुख्य कर्मचारियों की सूची

(दिनांक 31.3.2000 को यथारिथम्)

पदनाम	नाम	टेलिफोन नंबर	ई-मेल
अध्यक्ष	एस.एल. राव	91-11-4360004	raosl@hotmail.com
सदस्य	डी.पी. सिन्हा	91-11-4361259	Dps42a@hotmail.com
सदस्य	जी.एस. राजामणि	91-11-4361235	gsr23@hotmail.com
सदस्य	ए. आर. रामानाथन	91-11-4361280	arr18@hotmail.com
सदस्य	आर.एन. श्रीवास्तव	91-11-6109212	
सचिव	संजीव एस. अहलुवालिया	91-11-4361259	Ahlus@hotmail.com
प्रमुख (वित्त)	के. वेणुगोपाल	91-11-4364898	venu_k_gopal@hotmail.com
प्रमुख	रिक्त (3 पद)		
संयुक्त प्रमुख (विधि)	के.एस. ढींगरा	91-11-4363174	ks_dhingra@hotmail.com
संयुक्त प्रमुख (विधि)	रिक्त		
उप-प्रमुख (इंजीनियरी)	पी.एस. महास्के	91-11-4364826	Pmhaske@yahoo.com
उप-प्रमुख (इंजीनियरी)	एस.सी. आनंद	91-11-4364826	Anandsca@hotmail.com
उप-प्रमुख (इंजीनियरी)	एस.सी. श्रीवास्तव	91-11-4364826	Scschandra@hotmail.com



पदनाम	नाम	टेलिफोन नंबर	ई-मेल
उप प्रमुख (वित्त)	डॉ. पी. कार	91-11-4364895	dpkar@hotmail.com
उप प्रमुख	रिक्त (4 पद)		
सहायक सचिव	आर. एस. बिष्ट	91-11-4361145	bisht7@hotmail.com
सहायक प्रमुख (इन्जीनियरी)	अजय टालेगावंकर	91-11-4364826	ajay_tal@hotmail.com
सहायक प्रमुख (इन्जीनियरी)	हेमन्त जैन	91-11-4364826	hem_jain@hotmail.com
सहायक प्रमुख (वित्त)	एम. के. गुप्ता	91-11-4364895	Mkgca@hotmail.com
सहायक प्रमुख (अर्थशास्त्र)	यू. आर. प्रसाद	91-11-4363338	u_rcp@hotmail.com
सहायक प्रमुख (पर्यावरण)	एस. मानीकावासागम	91-11-4361145	s_vasagam@yahoo.com
सहायक प्रमुख (एम. आई. एस)	भूषिंदर सिंह	91-11-4364895	Vilkhu@hotmail.com
वैच ऑफिसर	जे. बी. शर्मा	91-11-4364911	
वैच ऑफिसर	वाई. के. जैन	91-11-4364911	Ykjain_cerc@hotmail.com
सहायक प्रमुख (लेखा)	सीताब सिंह	91-11-4361145	
सहायक प्रमुख	रिक्त (1 पद)		

वार्षिक रिपोर्ट
1999-2000

अनुबंध-III

वर्ष 1999-2000 के दैहन आयोग के समझ दाखिल याचिकाओं का छौटा

(क)	प्राप्त याचिकाओं की संख्या	निपटाए गए	दिनांक 31.3.2000 को लिखित
	47	7	40

निपटाए गए याचिकाओं का व्यौदा

क्र. सं.	याचिका सं.	दारा	दाखिल विषय	प्राप्ति की तारीख	निपटान की तारीख	लिया गया समय लगभग
1	01 / 99	पीजीसीआईएल	भारतीय विद्युत मिड संहिता (आईईजीसी)	9.4.99	30.10.99	7 महीने
2	02 / 99	भारत सरकार	उपलब्धता आधारित टेरिफ का अनुमोदन	11.6.99	4.1.2000	6 महीने
3	15 / 99	पीटीसी	व्यापार के लिए टेरिफ का अनुमोदन	21.10.99	28.10.99	एक सप्ताह
4	17 / 99	पीटीसी	व्यापार के लिए टेरिफ का अनुमोदन	4.11.99	16.12.99	2 महीने
5	18 / 99	एनएचपीसी	उत्पादन टेरिफ-केरासुल	31.8.99	29.11.99	3 महीने
6	19 / 99	एनएचपीसी	उत्पादन टेरिफ-लोकलतक	30.11.99	29.2.2000	3 महीने
7	11 / 2000	पीटीसी	एवीटी की प्रयोज्यता-मेंगा परियोजना	14.2.2000	9.3.2000	1 महीना

याचिकाओं के निपटान के लिए लिया गया औसत समय $3\frac{1}{2}$ महीना है।

(जारी....)

(छ)	प्राप्त कथोपकथनपूर्ण आवेदनों की संख्या	निपटाया गया	दिनांक 31.3.2000 को लिखित
	41	39	2
(i)	उग्र मानलों की संख्या, जिसमें अनन्तिम टेरेफ स्वीकृत कि गया	:	16
(ii)	आधार द्वारा की यह सुनवाईयों की संख्या	:	97

उपरोक्त के अतिरिक्त, भारत के राजपत्र में निम्नलिखित आदेश अधिसूचित किए गए :-

- 1 कंपिटिंग आ. (कारियार का संचालन) विनियम, 1999 : दिनांक 26 अप्रैल, 1999
- 2 कंपिटिंग आ. (सीर्विआर, 1999) का संशोधन : दिनांक 31 मई, 1999
- 3 कंपिटिंग आ. (विविध उपकरण) आदेश, 1999 : दिनांक 30 अगस्त, 1999
- 4 कंपिटिंग आ. (विविध उपकरण) आदेश, 1999 का संशोधन : दिनांक 26 नवम्बर, 1999
- 5 कंपिटिंग आ. (एरामर्शदाताओं की नियुक्ति) : दिनांक 31 दिसम्बर, 1999



ताप विद्युत सेशन : नेवेली लिहनाइट काएपोऐशन
मौजूदा उत्पादक सेशनों का ब्योरा

क्रम सं.	स्टेशन का नाम	अवस्थान		संस्थापित क्षमता (यूनिटों की सं. x मेगावाट)	इंधन
		क्षेत्र	राज्य / जिला		
1.	ताप विद्युत स्टेशन-।	दक्षिणी	तमिलनाडु/ नेवेली लिहनाइट कुड़डालोर	यूनिट-। से VI (6 x 50 मेगावाट यूनिट-—VII से IX (3 x 100 मेगावाट)	लिहनाइट
2.	ताप विद्युत स्टेशन-॥ चरण-। और चरण-॥	दक्षिणी	तमिलनाडु/ नेवेली कुड़डालोर	स्टेशन-600 मेगावाट यूनिट-। से 3 (3 x 210 मेगावाट) यूनिट-4 से 7 (4 x 210 मेगावाट)	लिहनाइट

वार्षिक रिपोर्ट
1999-2000



(जारी...)

नेवेली लिङ्गाइट कारपोरेशन निम्नाधीन उत्पादक स्टेशनों का ब्यौदा

क्र. सं.	स्टेशन का नाम	अवस्थान	संस्थावित क्षमता		ईधन	चालू होने की लक्षित तारीख
			क्षेत्र	राज्य / जिला		
1	ताप स्टेशन-1 विस्तार	दक्षिणी	तमिलनाडु कुड़िगालोर	यूनिट-1 (210 मेगावाट) यूनिट-2 (210 मेगावाट)	लिंगाइट	11.01.2001 05.02.2001

अनुबंध-IV
(जारी...)

नेशनल अम्ल पावर कारपोरेशन मौजूदा उत्पादक सेक्युरिटी का छोटा

क. कोयला—आधिकृत परियोजनाएँ

क्रम सं.	स्टेशन का नाम	अवरक्षण	संरचित अमता (हैनिटों की संख्या × मेगावाट)	ईधन
क्षेत्र	राज्य / जिला			
1.	सिंगरेली एसटीपीएस	उत्तरी उत्तर प्रदेश / सोनभद्र	यूनिट-। से V-(5 × 200 मेगावाट) यूनिट-VI और VII-(5 × 500 मेगावाट) स्टेशन-2000 मेगावाट	कोयला
2.	रिहर एसटीपीएस	उत्तरी उत्तर प्रदेश / सोनभद्र	यूनिट-। और II-(2 × 500 मेगावाट) स्टेशन-1000 मेगावाट	कोयला
3.	दाररी (कोयला)	उत्तरी उत्तर प्रदेश / गोपतमुद्ध नगर	यूनिट-। से IV-(4 × 210 मेगावाट) स्टेशन-840 मेगावाट	कोयला
4.	लंचाहार एसटीपीएस	उत्तरी उत्तर प्रदेश / राय बरेली	यूनिट-। से III-(3 × 210 मेगावाट) स्टेशन-630 मेगावाट	कोयला
5.	कोरवा एसटीपीएस	पश्चिमी मध्य प्रदेश / जमनीपाली	यूनिट-। से III-(3 × 200 मेगावाट) यूनिट-IV से VI-(3 × 500 मेगावाट) स्टेशन-2100 मेगावाट	कोयला

वार्षिक रिपोर्ट
1999-2000

(जारी...)

6.	विद्याचाल एसटीपीएस	पश्चिमी	मध्य प्रदेश / सीधी	यूनिट-। और VI-(6 x 210 मंगावाट) स्टेशन 1260 मंगावाट	कारबला
7.	रामगुडम एसटीपीएस	दक्षिणी	आंध्र प्रदेश / कर्णातकगर	यूनिट-। से ॥-(3 x 200 मंगावाट) यूनिट-IV से VI-(2 x 500 मंगावाट) स्टेशन-2100 मंगावाट	कारबला
8.	फरवका एसटीपीएस	पूर्वी	पश्चिम कंगाल / मुर्शिदाबाद	यूनिट-। से ॥-(3 x 200 मंगावाट) यूनिट-IV और V-(2 x 500 मंगावाट) स्टेशन-1600 मंगावाट	कारबला
9.	कंहलगाव एसटीपीएस	पूर्वी	बिहार / भागलपुर	यूनिट-। से ॥V-(4 x 210 मंगावाट) स्टेशन-840 मंगावाट	कारबला
10.	तालचर एसटीपीएस	पूर्वी	उड़ीसा / आगुल	यूनिट-। और ॥-(2 x 500 मंगावाट) स्टेशन-1000 मंगावाट	कारबला
11.	तालचर लीपीएस (पुराना)	पूर्वी	उड़ीसा / आगुल	यूनिट-। से VI-(4 x 60 मंगावाट) यूनिट-IV और VI-(2 x 110 मंगावाट) स्टेशन-460 मंगावाट	कारबला



अनुबंध-IV
(जारी...)

बैशानल थर्मल पावर कारपोरेशन मोजूदा उत्पादक स्टेशनों का ब्यौदा

ख. गैस / नेथा आधारित परियोजनाएं

क्रम सं.	स्टेशन का नाम	अवस्थान	संस्थापित क्षमता (यूनिटों की संख्या x मेगावाट)	इधन
1.	अंता जीपीपी	झेंड्र उत्तरी	राजस्थान / बारन जीटी-1 से III-(3 x 88 मेगावाट) एसटी-1 -149 मेगावाट स्टेशन-0.419 मेगावाट	गैस
2.	ओरेंया जीपीपी	उत्तरी	उत्तरप्रदेश / ओरेंया जीटी-1 से IV-(4 x 110 मेगावाट) एसटी-1 और II-(2 x 146.5 मेगावाट) स्टेशन-817 मेगावाट	गैस
3.	दादरी (गैस)	उत्तरी	उत्तरप्रदेश / गोमतमधुक्षनगर जीटी-1 से IV-(4 x 131 मेगावाट) एसटी-1 से II-(2 x 146.5 मेगावाट) स्टेशन-817 मेगावाट	गैस
4.	फरीदाबाद सीपीपी	उत्तरी	हरियाणा जीटी-1 से II-(2 x 143 मेगावाट) स्टेशन-286 मेगावाट	गैस
5.	कावास जीपीपी	पश्चिमी	गुजरात / सूरत जीटी-1 से IV-(4 x 106 मेगावाट) एसटी-1 से II-(2 x 110.5 मेगावाट) स्टेशन-645 मेगावाट	गैस
6.	झानेर-गंधार जीपीपी	पश्चिमी	गुजरात / भद्रुच जीटी-1 से III-(3 x 131 मेगावाट) एसटी-1 - 255 मेगावाट स्टेशन-648 मेगावाट	गैस
7.	कायमकुलम जीपीपी	दक्षिणी	केरल / अलप्पी जीटी-1 से II-(2 x 115 मेगावाट) स्टेशन-230 मेगावाट	नेथा

वार्षिक रिपोर्ट

1999-2000

(जारी...)

निम्नाधीन उत्पादक एटेशनों का छोड़ा



क्रम सं.	रेशन का नाम	अवस्थान		संख्यापित क्षमता (पूनिटों की सं. X मेगावट)	ईंधन	चालू करने की लाक्षित तारीख	अनुक्रित
		क्षेत्र	राज्य / जिला				
1.	विद्यायात् वरण—॥	पश्चिमी	मध्यप्रदेश / सीधी	2 × 500	कोयला	फरवरी, 2001	यूनिट-VII मार्च, 1999 में चालू हुआ। यूनिट-VII फरवरी, 2000 में चालू हुआ। —स्थिरीकरण के अधीन यूनिट-
2.	ऊचाहार, वरण—॥	उत्तरी	उत्तरप्रदेश/ राय बरेली	2 × 210	कोयला	जुलाई, 2000	—यूनिट-III जनवरी, 1999 में चालू हुआ। इस समय मरमत के अधीन —यूनिट—IV दिनांक 22.10.1999 को चालू हुआ।
3.	परीदाबाद सीसोपीपी	उत्तरी	हरियाणा/ करीदाबाद	जीटी-2 × 143 +1 × 144 एसटी	गेस	जनवरी, 2001	—जीटी-I दिनांक 24.6.1999 को चालू हुआ। जीटी-II दिनांक 22.10.1999 को चालू हुआ। —एसटी-I के अनुसूचि 2000 तक चालू होने का अनुमान है।
4.	सिमहादि दीपीपी	दक्षिणी	आधप्रदेश / विशाखापट्टनम	2 × 500	कोयला	दिसम्बर, 2002	
5.	तालंधर वरण—॥	पूर्वी	उड़ीसा / अंगुल	4 × 500	कोयला	फरवरी, 2006	

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड मौजूदा उत्पादक उत्तरांको का व्योदा

क्रम सं.	नाम और स्थान तथा स्कीम की किस्म	अवश्यान	संस्थापित क्षमता (यूनिटों की सं. x मेगावाट)
1	बेरासिकुल एचईपी वाधु सहित नदी का प्रवाह मार्ग	उत्तरी क्षेत्र राज्य / जिला / नदी हिम. / चम्बा / रावी	$3 \times 60 = 180$ मेगावाट
2	सलाल एचईपी नदी का प्रवाह मार्ग	उत्तरी जमू एवं कश्मीर / उदयमुख / चंगाब	$6 \times 115 = 690$ मेगावाट
3	टनकपुर एचईपी # नदी का प्रवाह मार्ग	उत्तरी उत्तरप्रदेश / उदयमसिंह नगर / शारदा	$3 \times 40 = 120$ मेगावाट #
4	चमोरा एचईपी वाधु सहित नदी का प्रवाह मार्ग	उत्तरी हिमाचल प्रदेश / चम्बा / रावी	$3 \times 180 = 540$ मेगावाट
5	ऊरी एचईपी नदी का प्रवाह मार्ग	उत्तरी जमू एवं कश्मीर / बारामुला / झेलम	$4 \times 120 = 480$ मेगावाट
6	रंगीट एचईपी बाध सहित नदी का प्रवाह मार्ग	पूर्वी सिक्किम / दक्षिणी सिक्किम / रसीट	$3 \times 20 = 60$ मेगावाट
7	लोकतक एचईपी भंडारण	उत्तर-पूर्व मणिपुर / विशनपुर और चूड़ा चांदपुर / लोकतक झील	$3 \times 35 = 105$ मेगावाट

परियोजना की संस्थापित क्षमता 120 मेगावाट है। तथापि, उत्पादन क्षमता का दर्जा नेपाल में क्षेत्रों को इकून से बचाने के लिए बराज का कुंड सर ई-एल-248 मी. से ई-एल 246.7 मी. तक परिवर्तित करने के कारण घटाकर 94.2 मेगावाट कर दिया गया है। दिजाइन ऊर्जा को भी 525 मिलियन यूनिटों से घटाकर 460 मिलियन यूनिट कर दिया गया है।

वार्षिक रिपोर्ट
1999-2000

(जारी...)

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन निमणाधीन उत्पादक संशानों का व्यौद्या

क्रम सं.	संशान का नाम	अवरथान	संथापित क्षमता (यूनिटों की संख्या × मेगावाट)	चालू करने की लक्षित तारीख
1	दुलहरस्ती	झोत्र उत्तरी	राज्य जम्मू एवं कश्मीर	3 × 130 मार्च, 2002
2	धौलिगंगा	उत्तरी	उत्तर प्रदेश	4 × 70 मार्च, 2005
3	चमोरा-II	उत्तरी	हिमाचल प्रदेश	3 × 100 मई, 2004
4	कोयल कारो	पूर्वी	बिहार	1 × 20+4 × 172.5 8 वर्ष
5	तीरस्ता-V	पूर्वी	सिक्किम	3 × 170 फरवरी, 2007
6	लोकतक झी / एस	उत्तर-पूर्वी	भूगोल	3 × 30 जून, 2006
7	कलपौग	पूर्वी	अंदमान एवं निकोबार	5.25 मेगावाट अक्टूबर, 2002
8	कुरीचू	भूटान	भूटान	60 मेगावाट सितम्बर, 2001

टिप्पणी : क्रम सं. 1 से 6 तक की स्कीमों का स्वामित्व एनएचपीसी के पास है और निष्पादन उनके द्वारा किया जाता है। क्रम सं. 7 और 8 का निष्पादन एनएचपीसी से द्वारा किया जा रहा है परंतु उसका स्वामित्व कारपोरेशन के अधीन नहीं है।



अनुबंध-IV
(जारी...)

**नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन
सौणुदा उत्पादक स्टेशनों का ब्यौदा (जल विद्युत)**

क्रम संख्या	स्टेशन का नाम और स्कीम को क्रम	आवश्यकता क्षेत्र	राज्य / जिला / नदी	संश्यापित क्षमता (यूनिटों की सं. x क्षमता मेगावाट)
1 (क)	कोपीली जल विद्युत परियोजना खानडौग पीएच भडारण	उत्तर-पूर्व	असम / पर्वतीय / कोपीली	2 x 25
	कोपीली पीएच भडारण			2 x 25
2	कंपार्चाई चरण-I विस्तार भडारण	उत्तर-पूर्व	असम / पर्वतीय / कोपीली	2 x 25

वार्षिक सिपोर्ट
1999-2000



(जारी...)

नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन चालू उत्पादक स्टेशनों का ब्यौदा (जल विद्युत)

क्रम संख्या	स्टेशन का नाम और स्थील की किस्म	अवश्यान		संस्थापित क्षमता यूनिटों की संख्या × क्षमता (मेगावाट)	चालू करने का लक्ष्य
		क्षेत्र	राज्य / जिला		
1	दोयग एचईपी मंडरण आरआइआर	उत्तर-पूर्व	नागार्लैंड/ वोरवा	3 × 25 = 75 मेगावाट	मार्च, 2000
2	रणनीदी एचईपी आरआइआर	उत्तर-पूर्व	अरुणाचल प्रदेश/ लोअर सुदूरनेपाली	3 × 135 = 405 मेगावाट	मार्च, 2001
3	तुइरियल एचईपी मंडरण	उत्तर-पूर्व	मिजोरम / ऐजवाल	2 × 30 = 60 मेगावाट	दसवीं योजना
4	कोपीली दूसरा चरण मंडरण	उत्तर-पूर्व	असम / उत्तरी कछार पहाड़ी	1 × 25 = 25 मेगावाट	जुलाई, 2003